भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1039
सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946, (शक)

गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ

1039. श्री ए. राजा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत गिग/प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स की संख्या और उनके अंतर्गत कार्य कर रहे गिग/प्लेटफॉर्म कामगारों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और विगत तीन वर्षोंके दौरान ऐसे कितने कामगार लाभान्वित हुए हैं;

(ग) सरकार द्वारा गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को पंजीकृत करने और लाभ प्रदान करने के लिए एग्रीगेटरों द्वारा अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे कामगारों को सामाजिक सुरक्षा संहिता जैसे मौजूदा श्रम कानूनों के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है जिसे अभी लागू किया जाना है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में पहली बार, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों की परिभाषा दी गई है और इससे संबंधित उपबंध किए गए हैं जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। ई-श्रम पोर्टल पर प्लेटफॉर्मों और उनके साथ जुड़े प्लेटफॉर्म कामगारों के पंजीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अलग एग्रीगेटर मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया है। दिनांक 04.02.2025 तक की स्थिति के अनुसार, कुल चार प्लेटफॉर्म ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कर चुके हैं। कुल 423186 सक्रिय प्लेटफ़ॉर्म कामगार उनके साथ नियोजित हैं।

इस संहिता में, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और निःशक्तता कवरेज, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय करने के उपबंध हैं।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के गिग कामगारों के योगदान को देखते हुए, सरकार ने दिनांक 1.2.2025 को की गई अपनी बजट घोषणा में उनके पहचान-पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था करने और पीएमजेएवाई स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

****